

वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण (टैक्सी को छोड़कर)

कानूनी आवश्यकतायें

कानून के अनुसार, पंजीकृत मालिक (मौजूदा मालिक) वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के 72 घंटे के भीतर इस विभाग के वाहन अभिलेख कार्यालय में स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना (टैक्सी को छोड़कर) (अर्थात् फॉर्म TD25 का पृष्ठ 3) की प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसे मौजूदा मालिक और नए मालिक द्वारा पूर्ण और विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा। नए मालिक को वाहन स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के 72 घंटे के भीतर, आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ, "वाहन (टैक्सी को छोड़कर) के स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना" (अर्थात् फॉर्म TD25 का पृष्ठ 1) की मूल प्रति, जो वर्तमान मालिक और नए मालिक द्वारा पूर्ण और हस्ताक्षरित हो, इस विभाग के लाइसेंसिंग कार्यालय में जमा करानी होगी।

निकासी प्रमाणपत्र [TD87(S)]

- अनापत्ति प्रमाण-पत्र में यह उल्लेख होता है कि प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के समय, निर्दिष्ट वाहन प्रमाण-पत्र में उल्लिखित अपराधों, न्यायालय के आदेशों, अदा न किए गए जुर्मानों और लागतों में संलिप्त रहा हो या नहीं। प्रमाणपत्र जारी होने के समय से 72 घंटे से अधिक समय तक वैध नहीं रहेगा।
- वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए मंजूरी प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से आवश्यक दस्तावेज नहीं है। वाहन के अधिग्रहण के लिए समझौता करने से पहले, संभावित वाहन खरीदार किसी भी लाइसेंसिंग कार्यालय में TD87(S) फॉर्म जमा करके मंजूरी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
- वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के समय, यदि वाहन के नए मालिक के पास वैध अनापत्ति प्रमाण-पत्र है, तो यह प्रमाणित करता है कि वाहन पर उसमें सूचीबद्ध अपराधों में संलिप्त होने का आरोप नहीं है, तो

स्वामित्व हस्तांतरित वाहन का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित नहीं किया जाएगा और वाहन को TD द्वारा "हिरासत" में नहीं लिया जाएगा, भले ही वाहन पर स्वामित्व हस्तांतरण के बाद पहले भी उक्त अपराधों में संलिप्त होने का आरोप हो।

- अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन निःशुल्क है। आवेदक [ऑनलाइन](#) आवेदन कर सकते हैं।

वाहन बिक्री और खरीद

वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण में परिसंपत्तियों के स्वामित्व का हस्तांतरण और वाहनों का पुनः पंजीकरण शामिल है। वाहन के मौजूदा और नए दोनों मालिकों को अपने हितों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए:

- मौजूदा मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नया मालिक परिवहन विभाग को मूल "वाहन (टैक्सी को छोड़कर) के स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना" प्रस्तुत करे, ताकि वाहन को नए मालिक को हस्तांतरित करने के 72 घंटे के भीतर वाहन स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो सके। अन्यथा, स्वामित्व हस्तांतरण अधूरा रहेगा।
- वाहन स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले, क्योंकि वाहन अभी भी मौजूदा मालिक के नाम पर पंजीकृत है, इसलिए मौजूदा मालिक को उस वाहन से संबंधित सभी कानूनी दायित्वों को उठाना जारी रखना होगा। परिवहन विभाग (TD) मौजूदा मालिक और नए मालिक को वाहन स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अपने लाइसेंसिंग कार्यालय में एक साथ आने की सिफारिश करता है।

नवीनतम जानकारी के लिए कृपया [अंग्रेजी संस्करण](#) देखें।

